363
02.12.15

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 30.11.2015 को आयोजित जिला स्तरीय
पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

क्र	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	एम0जे0सी0 हरदेव यादव बनाम राज्य का मामला सिन्हा होमियो मेडिकल कॉलेज, दरभंगा से संबंधित है। पृच्छा पर वरीय उप समाहर्त्ता, विधि शाखा द्वारा सूचित किया गया कि इसमें तथ्य विवरणी की मांग की गयी है। एम0जे0सी0 विद्यावती सिन्हा बनाम राज्य का मामला सिविल सर्जन, दरभंगा से संबंधित है। उन्हें निदेश दिया गया कि संबंधित मामले में शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करवाना सुनिश्चित करें। सिविल सर्जन को पुनः स्मारित करें। एम0जे0सी0 चौधरी नरेश चन्द्र राय बनाम राज्य का मामला भू अतिक्रमण से संबंधित है। इस मामले में अंचलाधिकारी, बेनीपुर से तथ्य विवरणी की माँग की गई है। प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि द्वारा बताया गया कि याचिका की प्रति ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी है। एम0जे0सी0 मो0 नईमुद्दीन बनाम राज्य का मामला सेवांत लाभ भुगतान से संबंधित है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को निदेश दिया गया था कि वे कारणपृच्छा शीघ्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करें। उन्हें इस हेतु पुनः स्मारित किया जाय। एम0जे0सी0 मनहर गोपाल बनाम राज्य का मामला अतिक्रमण से संबंधित है। इस मामले में समाहर्त्ता के न्यायालय में अतिक्रमण वाद चल रहा है, जिसके निष्पादन हेतु मूल अभिलेख उपलब्ध करवाने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को दिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा, बेनीपुर, हायाघाट, तारडीह, दरभंगा सदर एवं कुशेश्वरस्थान से संबंधित सी0डब्लू0जे0सी0 वाद लंबित है। अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को इसकी समीक्षा कर समय–सीमा के अन्दर प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश दिया गया। सभी कार्यालय प्रधान को निदेशित किया गया कि वे अपने यहाँ लंबित माननीय उच्च न्यायालय के वादों की समीक्षा कर उसका निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित करावें।	वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि शाखा/अनुमण्डल पदाधिकारी सदर/बेनीपुर एवं बिरौल।
2.	जाँच के दौरान कई प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक अनुपस्थित पाए गए है। ऐसे सभी अनुपस्थित सभी पदाधिकारियों/प्रबंधकों की सूची सिविल सर्जन, दरभंगा को उपलब्ध कराते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई का निदेश दिया गया था जिसके बारे में पृच्छा पर बताया गया कि अनुपालन में उनके स्पष्टीकरण पूछा गया है जिसके प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।	सिविल सर्जन, दरभंगा
3.	खाद्यान्न उठाव की समीक्षा के क्रम में वरीय पदाधिकारी, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि दिसम्बर'2015 का खाद्यान्न उठाव हो रहा है। गत माह विभिन्न मदों के खाद्यान्न उठाव की स्थिति के बारे में उन्हें प्रतिवेदनं अविलंब देने को कहा गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि वे भारतीय खाद्य निगम से उठाव का दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। उठाव शत–प्रतिशत सुनिश्चित हो और यह व्ययगत नहीं होने चाहिए।	वरीय पदाधिकारी, राज्य खाद्य निगम/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा
4.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दो प्रखंडों को छोड़कर राशन कार्ड का वितरण जारी है। दूरभाष पर प्रतिवेदन प्रखण्डवार ली जा रही है। निदेशित किया गया कि संध्या 5.00 बजे तक प्रति दिन दैनिक रूप से तत्संबंधी प्रतिवेदन जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए जाएँ। वितरण कार्य में तेजी लाया जाय।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा
5.	वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में प्राप्त खाद्यान्न की उपयोगिता का प्रमाण–पत्र समर्पित करने के लिए नया प्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर जिले का समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा को दिया गया था। अब तक तत्संबंधी प्रगति की सूचना नहीं है। इसका अनुश्रवण करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में तेजी लाएँ। प्रगति के बारे में अवगत भी कराएँ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा

6.	12 विद्यालयों में बंद पड़े मध्याह्न भोजन योजनाओं में मात्र 4 को चालू होने की सूचना दी गयी। शेष 8 विद्यालयों के भवनहीन होने के फलस्वरूप योजना का लाभ नहीं दिया जा सका है। इसे समीपस्थ अन्य विद्यालय से सम्बद्ध कर छात्र/छात्राओं को योजना का लाभ दिया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। इस विषय पर गंभीरता से नहीं सोचा गया है। मात्र भवनहीन विद्यालय कह कर जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। योजना लाभ से 8 विद्यालयों के छात्रों को वंचित होने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण कार्रवाई नहीं किए जाने के संदर्भ में जिम्मेवारी सुनिश्चित करते हुए आज ही प्रतिवेदन एवं कार्रवाई का प्रस्ताव दें। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण अंतर्गत कुल 5 योजनाएँ लंबित बतायी गयी। इनमें राशि की मांग की गयी है।	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (शिक्षा स्थापना)/प्रभारी पदाधिकारी मध्याह्न योजना, दरभंगा।
7.	एम0एस0डी0पी0 के तहत वर्ष 2012–13 से ही योजनाएँ लंबित है, संबंधित कार्य एजेन्सियों को निदेशित था कि संबंधित संवेदकों/अभियंताओं की बैठक कर योजनाओं को शीघ्र पूरा करावें। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल ने पृच्छा पर स्पष्ट किया कि योजना में निविदा हो चुकी है। शीर्ष स्तर से निर्णय के पश्चात् अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी। 12–13 की कुल 14 योजनाएँ बतायी गयी। उनके द्वारा सूचित किया गया कि तीन संस्थानों के लिए होस्टल निर्माण यथा आई.टी. आई., रामनगर, एम.एल.एकेड्मी तथा जिला स्कूल, दरभंगा के लिए राशि हस्तांतरित की जाएगी।	संबंधित कार्य एजेन्सी
8.	श्रमाधीक्षक के विभागीय कार्य से पटना जाने की सूचना उनके प्रतिनिधि द्वारा दी गयी। उन्हें विषयों की जानकारी नहीं थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अभी तक लगभग 87000 परिवार का नामांकन हुआ है, जबकि इस जिले में लगभग 500000 बी0पी0एल0 परिवार है। श्रम अधीक्षक को कार्य में तेजी लाने तथा सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में प्रखंडवार किट लगवाने का निदेश गत बैठक में दिया गया था। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्र पर तैयार किए जा रहे कार्ड की संख्या के संबंध में सूचना प्राप्त कर उसमें एकरूपता लाना सुनिश्चित करें। तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कहा गया।	श्रम अधीक्षक, दरभंगा
9.	परियोजना निदेशक, आत्मा से उनके विभागीय कार्य गतिविधियों के बारे में जानकारी पर बताया गया कि अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।	परियोजना निदेशक, आत्मा, दरभंगा।
10.	जिला उद्यान पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभिन्न योजनाओं के तहत जो भी कार्य किए गए है, उसका अद्यतन प्रतिवेदन आज संध्या तक उपलब्ध करावें ताकि इसकी जॉच करवायी जा सके। तदनुसार लाभान्वितों की सूची तथा विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ उनके द्वारा भेज दी गयी बताया गया।	जिला उद्यान पदाधिकारी
11.	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा ने पृच्छा क्रम में बताया कि डीजल अनुदान वितरण कार्यक्रम में दो सप्ताह लगेंगे। अभी 1.66 करोड़ राशि का वितरण हुआ है तथा शेष वितरण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 4.61 करोड़ राशि चाहिए। वितरण हेतु 31 दिसम्बर तक समय निर्धारित हैं। निदेशित किया गया कि सरकार इस ओर गंभीर है, अतः सभी प्रभावित किसानों को पुरी पारदर्शिता के साथ डीजल अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाय। बीज उठाव करनेवाले वितरकों की सूची देने को कहा गया था जो अप्राप्त हैं। अभी तक 16110 क्विंटल बीच का वितरण किया जा चुका हैं। 74000 क्विंटल का लक्ष्य प्रतिवेदित की गयी जिसके वितरण सम्यक रूप से करने हेतु प्रयास अपेक्षित हैं।	जिला कृषि पदाधिकारी
12.	दिनांक 12.12.2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत का दरभंगा में आयोजन होने जा रहा है जिसमें पूर्व की भाँति विभिन्न विभागों के मुकदमों का तत्समय निवटारा होगा। इसमें बी.एस.एन.एल, भू–विवाद राजस्व, श्रमिक विवाद, बीमा, वन एवं उत्पाद आदि मामलों की सुनवाई एवं निवटारा के लिए सुचना एवं प्रचार–प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। 5.12.15 तक ऐसे विभागों की सूची देने को कहा गया है और आज हीं इसको लेकर स्थानीय सिविल कोर्ट में बैठक भी आहूत हैं। अधिकाधिक मामलों का निवटारा इस जिले में हों, इसके लिए सभी विभागों को प्रभावी एवं सार्थक कार्रवाई की अपेक्षा है।	वरीय उप समाहर्त्ता, विधि शाखा, दरभंगा/महाप्रबंधक, बी0एस0एन0एल,दरभंगा/ उप श्रमायुक्त, दरभंगा/जीवन बीमा निगम/अधीक्षक, उत्पाद/अपर समाहर्त्ता/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा।.

13.	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि पैडी क्रॉप कटिंग का कार्यक्रम तैयार कर संबंधितों को उपलब्ध करावें तथा इसका प्रतिवेदन समय पर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। अपर समाहर्त्ता द्वारा सूचित किया गया कि 1 ली दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक जनगणना हेतु सर्वेक्षण कार्य होगा। इनमें 2010 के जनगणना डॉटा के आधार पर जो प्रगणनक हैं, प्रत्येक घरों में जाएँगे तथा आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की माँग करेंगे। सुनिश्चित प्रक्रियानुसार लोगों का राष्ट्रीय पहचान पत्र बनेगा। इसे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अनुश्रवण करेंगे। पुरे राज्य में इसका NPR तैयार किया जाना है। सभी वरीय उप समाहर्त्ता प्रभारी प्रखण्ड अपने प्रभार के प्रखण्ड में जिलाधिकारी महोदय की ओर से उक्त कार्यो का अनुश्रवण करेंगे। तत्संबंधी वांछित आदेश हेतु संचिका जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जाय।	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा/सभी वरीय उप समाहर्त्ता, प्रभारी प्रखण्ड।
14.	विधानसभा निर्वाचन के दौरान जो भी कार्य कराए गए है, उसका विपत्र दिनांक 25.11.15 तक प्राप्त करने का निदेश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया था। आज की बैठक में 40 प्रतिशत विपत्र प्राप्त होने की बात कही गयी जिनमें सामियाना, टेंट, मेटेरियल आदि से सम्बन्धित है। कुछ आपूर्तिकर्त्ता निर्वाचन के बाद अन्यत्र चले गए हैं, फलस्वरूप उनका विपत्र नहीं आया है। इस सम्बन्ध में एक बैठक रखी गयी है ताकि उसकी समीक्षा हो सके। निर्वाचन व्यय से जुड़े स्टॉक रजिस्टर का निरीक्षण भी किया जाना है जिस हेतु सभी निर्वाची पदाधिकारियों से स्टॉक पंजी की माँग की गयी है जिन्होंने अब तक उस उपलब्ध नहीं कराया है। सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को भी सामग्री के आवक की प्रविष्टि (स्टॉक पंजी) उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है। निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के दिनांक 3.12.15 को दरभंगा पहूँचने की सूचना है जो व्यय लेखा की जाँच करेंगे अतः सभी निर्वाची पदाधिकारी व्यय लेखा अद्यतन के साथ व्यय का मदवार सार संक्षेप भी साथ तैयार रखेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे व्यय प्रेक्षक से दूरभाष पर संपर्क कर जरूरी बातें सभी निर्वाची पदाधिकारी को संसूचित/निदेशित करें।	उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा/सभी कोषांगों के नोडल पदाध्किारी/सभी निर्वाची पदाधिकारी
15.	विधान सभा निर्वाचन 2015 में प्रयुक्त 3360 वाहनों में 430 वाहनों का भुगतान लंबित बताया गया जिनमें तारडीह–3, मनीगाछी 11, हायाघाट–24, जाले–81, सिंहवाड़ा–4, बहेड़ी–5, गौड़ाबौराम–42, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वरस्थान क्रमशः4 एवं 2, सदर एवं केवटी क्रमशः 60 एवं 99, बेनीपुर–6, अलीनगर–33 बहादुरपुर–44 एवं हनुमाननगर –3 इसके अतिरिक्त जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह– नोडल पदाधिकारी वाहन कोषांग के स्तर से –5 तथा अन्य स्तर पर 4 भुगतान हेतु बचे हैं। इन सभी वाहनों का भूगतान अविलंब सुनिश्चित की जाय। बाजार समिति प्रांगण में मरम्मति भाग से सम्बन्धित व्यय हेतु राशि का आवंटन अनुमण्डल पदाधिकारी सदर को गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा राशि विमुक्त किए जाने की सूचना दी गयी। आज ही तत्संबंधी संचिका जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थापित कर आवश्यक निदेश प्राप्त कर लेने को कहा गया। निर्वाचन अवधि में अस्थायी शौचालय निर्माण से सम्बन्धित व्यय के बारे में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से प्रतिवेदन आना है। उनसे तथ्यात्मक प्रतिवेदन लेकर भुगतान की कार्रवाई करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लो0स्वा0 अभियंत्रण प्रमण्डल को निदेशित किया गया।	जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरभंगा जिला/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/बेनीपुर/बिरौल।
16.	नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में गरीबों को आवास सुविधा प्रदान करने हेतु आवास निर्माण योजना के तहत नगर निगम, दरभंगा की ओर से राशि प्रदान की जानी है। इसके लिए 440 गरीब परिवारों का चयन किया गया है। किन्तु इसकी संख्या अधिक बतायी गयी अतः उसकी सूची की माँग की गयी।	नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम

17.	मिथिला महोत्सव के लिए पूर्व निर्धारित तिथि 8–9/12/2015 परिवर्तित होकर अब 12–13 दिसम्बर'2015 संभावित हैं। महोत्सव में प्रतिभागी कलाकार स्थानीय एवं बाह्य क्षेत्रों से होंगे। स्थानीय उत्कृष्ट कलाकार को चयनित कर उनकी सहमति ले ली जाय। कलाकारों का अंतिम रूप से चयन इसके लिए निर्धारित चयन समिति को प्राप्त अनुशंसा एवं अनुमोदन से होगा। कला के विभिन्न विधाओं यथा नृत्य, भाव नृत्य में प्रख्यात नृत्य मंच को प्राथमिकता दी जाएगी। बाहरी कलाकार में श्री दलेर मेहदी के नाम विचाराधीन हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मिथिलांचल की लोक कला, नृत्य आधारित कार्यक्रम किए जाएँगे। पुरस्कार वितरण हेतु गठित समिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी(शिक्षा) एवं श्री राम बुझावन यादव, शिक्षक होंगे। इसकी कार्य योजना तय करने हेतु उन्हें एक बैठक बुलानी है। कार्यक्रम हेतु टेंट, शामियाना, कुर्सी, सजावट आदि के लिए निविदा निकाली जा चुकी है। बाहरी कलाकारों के आवासन, भोजन तथा आवश्यकतानुसार वाहन की व्यवस्था भी की जानी है। सभी कार्यक्रम लहेरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में होंगे। स्टेडियम आयोजन स्थल के निर्धारित स्थलों पर सिविल सर्जन, बाल विकास परियोजना , जिला मत्स्य, कृषि, उद्यान आदि का स्टॉल लगाने के लिए संबंधित विभाग को 1000/– रू0 प्रति सम्बन्धित कोष में जमा देना होगा। विगत वर्षो में लगाए गए स्टॉलों की सूची के अनुरूप कम से कम 100 स्टॉल लगाया जाना है। उप विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि उपरोक्त संख्या में स्टॉल लगाने हेतु निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा से विमर्श कर इसे अंतिम रूप दिया जाय। मिथिला पेंटिंग्स प्रतियोगिता में प्रथम आनेवाले का चयन पुरस्कार हेतु किया जाना है। महोत्सव के प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिंग्स, स्मारिका का प्रकाशन का प्रभार श्री राजेश कुमार सिंह, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के जिम्मे होगा। पृच्छा पर श्री रविन्द्र कुमार 'दिवाकर' द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्मारिका हेतु विषयवार आलेखों का संकलन किया जा रहा है जो पर्यटन, कला एवं संस्कृति आदि क्षेत्रों से हैं। शुभकामना संदेश की प्राप्ति एवं मुद्रण हेतु संकलन जिला सामान्य शाखा द्वारा की जाएगी। मिथिला महोत्सव स्थल स्टेडियम परिसर में पेयजल (टैंकर) /अस्थायी शौचालय की व्यवस्था नगर निगम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पूर्व से विद्यमान व्यवस्था और वर्त्तमान आवश्यकता के मद्देनजर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। विश्व विकलांग दिवस पर भी वे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। नौकायन प्रतियोगिता शहर के हराही पोखरा में किया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षित नाविकों तथा तत्संबंधी पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। महोत्सव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधि व्यवस्था के प्रभार में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर रहेंगे तथा समन्वयक की भूमिका में अपर समाहर्त्ता होंगे। जिला खेल पदाधिकारी विगत वर्ष में आयोजित युवा खेल उत्सव को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।	उप विकास आयुक्त/निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/ वरीय उप समाहर्त्ता, विकास शाखा/जिला खेल पदाधिकारी, दरभंगा/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा

39

ह0/-
जिलाधिकारी,
दरभंगा

ज्ञाप संख्या 4313/सी0, लहेरियासराय, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/12/15
जिलाधिकारी,
दरभंगा।